न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–रामकिशोर मीना

अपील संख्या– 14/24 तारीख रज्जू–30/04/24

1 कमल सिंह पुत्र श्री किशन लाल जाति मीना निवासी ग्राम खिदरपुर तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी ——अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार वजीरपुर । –रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक– 18/12/2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 511/2024 में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम खिदरपुर के आराजी ख0नं0 21 रकबा 0.05 है0 व खं0न0 599/258 रकबा 0.05 है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर मूल बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि प्रकरण सं0 511/2024 में गांव खिदरपुर पटवार हल्का महानन्दपुर ड्योडया में खसरा नम्बर 21,599/258 भूमि चरागाह में 0.10 है0 भूमि पर अतिचार करना जो दर्शाया है वह गलत है। कमल सिंह मीना ने उक्त जमीन पर कोई अतिचार नहीं कर रखा है। गलत तरीके से प्रार्थी को धारा 91 का नोटिस भेजकर परेशान किया जा रहा है। उक्त जमीन जिसका प्रार्थी कों भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी किया है के सम्बन्ध में माननीय ग्रामीण न्यायालय गंगापुर सिटी ने प्रकरण सं0 196/2011 दिवानी वाद उनवान कमल सिंह मीना बनाम राजस्थान राज्य एवं तहसीलदार वजीरपुर मामलें में दिनांक 15.12.2016 को ही निर्णय पारित कर दिया है। माननीय न्यायालय गंगापुर सिटी के द्वारा दिनांक 15.12.2016 को दिये गये निर्णय में विवाधक संख्या 01 के अनुसार उक्त जमीन आबादी में स्थित होना दर्शाया है तथा उक्त भूमि जो आबादी में है उस पर प्रार्थी कमलसिंह मीना का पचास वर्षो से मकान, पाटोर पोस गेत , कुआ आदि बना हुआ है। कमलसिंह मीना के पिता की मृत्यु उपरान्त स्मृति चिन्ह भी बना हुआ होना बताया है। वादग्रस्त भवन पर वादी कमलसिंह मीना का स्थापित कब्जा चला आ रहा है। उक्त सभी माननीय ग्रामीण [illegible] गंगापुर सिटी ने अपने आदेश में दर्शाया है। गवाहान के बयान भी माननीय ग्रामीण न्यायालय गंगापुर सिटी में दर्ज किए है, जिसमें गवाह 02 विजय द्वारा लिखित [illegible] कमलसिंह मीना [illegible] होना दर्शाया है। गवाह सं0 03 [illegible] मौका कमीशनर द्वारा [illegible] का मुआयना करने पर उसके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में भी कमलसिंह मीना का कब्जा होना दर्शाया है। वादी कमलसिंह मीना के कमरों की दासाबन्दी होना, पाटोर पोस वेसमेन्ट, गैतबाडा व छप्परपोस आदि बना हुआ होना बताया हैं। वादी कमलसिंह के पिता की एक स्थान पर स्मृति चिन्ह के रूप में दो पट्टियाँ रखी होना दर्शाया है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:42:50 IST
Reason: SelfAttested

वाद ग्रस्त जमीन पर वादी कमलसिंह मीना का पूर्ण कब्जा होना पाया गया। मौका कमीशनर ने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है। माननीय ग्रामीण न्यायालय गंगापुर सिटी के द्वारा प्रतिवादीगण तहसीलदार वजीरपुर को भी साक्ष्य देने हेतु न्यायालय में बुलाया। तहसीलदार वजीरपुर ने अपने बयानों मे स्पष्ट दर्शाया है कि में नहीं बता सकता की अतिक्रमण किस खसरा नम्बर में है। उक्त भूमि को आबादी में बीच में स्थित होना भी बताया है। तहसीलदार वजीरपुर यह स्पष्ट नहीं कर पाये है कि चरागाह के नम्बर क्या है।जिससे प्रतिवादीगण को जबाब देही प्रमाणित नहीं है कि विवादित भूमि चरागाह की भूमि रही हो। आबादी की भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त नहीं है। तहसीलदार वजीरपुर ने माननीय ग्रामीण न्यायालय गंगापुर सिटी के द्वारा दिनांक 15.12.2016 को दिये गए निर्णय के विरूद्ध मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश गंगापुर सिटी के यहां अपील पेश कर रखी है। जिसका नम्बर 01/2017 उनवान राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर एव नायब तहसीलदार वजीरपुर बनाम कमलसिंह मीना है, जिसमें अभी तक भी अपीलार्थीगण को स्थगन आदेश भी नहीं मिला है तथा उक्त अपील श्रीमान् ए0डी0जे0 कोर्ट नं0 01 गंगापुर सिटी के समक्ष पेन्डिंग चल रही है। फिर भी गलत तरीके से तहसीलदार वजीरपुर द्वारा अपीलार्थी को बार-बार 91 भू0 राजस्व अधिनियम के नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है। जो कि एक प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है और माननीय ग्रामीण न्यायालय गंगापुर सिटी के द्वारा दिनांक 15.12.2016 को पारित किये गये निर्णय की अवहेलना करना जैसा है। जो कि न्यायहित में ठीक नहीं है। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की सिफारिश व अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि भारतीय संविधान के द्वारा और रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा रिटायर्ड फोजी को दिये गये है जैसे निवास करने की सुविधा, निवास स्थान के लिए जमीन आवंटन की सुविधाऐं ,मकान बनाने, गांव में रहने के लिए जमीन, पट्टा आदि देने की सुविधाऐं रेवन्यू और काश्तकारी कानून राजस्थान सरकार द्वारा भी सेवानिवृत फौजी को उक्त सभी सुविधाऐं उपलब्ध करायी है। अतः उक्त सभी के अनुसार प्रार्थी कमलसिंह मीना का यह प्रकरण अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है। रहने के मकान का अधिकार किसी आसामी को ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाये उस गांव की आबादी में, जिसमें यह भूमि धारित करता हो, बिना किसी मूल्य के अपने रहने के लिए मकान के लिए भूमि का अधिकारी होगा। यह धारा 31 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 में इसका प्रावधान किया गया है। राजस्थान सरकार का परिपत्र कमांक 6 (17) राजस्व (सी0)/71 दिनांक 03.07.1971 एवं एफ 6 (10) राज/ग्रुप-4/77 दिनांक 23.04.1977 द्वारा काश्तकारी, कृषि श्रमिकों, गांव के आर्टीजन/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के सदस्यों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है जैसा कि निर्णय राजस्थान राज्य बनाम गुरू प्रकाश सिंह 1988 आर0आर0डी0 290 निर्णय में दर्शाया है। उक्त निर्णय के अनुसार भी प्रार्थी कमलसिंह मीना को गांव खिदरपुर में रहने के मकान का अधिकार प्राप्त है। अतःअपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मु0नं0 511/2024 सरकार बनाम कमलसिंह में दिनांक 28.03.2024 को जो आदेश पारित किया है वह गलत है। विधि विरूद्ध है। जिसे खारिज फरमाया जावे। अपीलार्थी ने दिनांक 25.07.2024 को इस अपील से सम्बन्धित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय ए0आई0आर0 2009 एससी 2375 और 2012 ए0आई0आर एससीडब्ल्यू 2162 भी पेश किए है जिन पर न्यायाहित में गौर किया जाना अति आवश्यक है, साथ ही वकील अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.03.2024 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:42:59 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील तथा बहस में मा0 न्यायालय ग्राम न्यायालय के जिस आदेश दिनांक 15.12.2016 का अंकन किया है। उक्त आदेश में मा0 न्यायालय द्वारा स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि "दावा वादी बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम खिदरपुर में स्थित वादी के कब्जेशुदा भूमि जिसका वर्णन व माप वाद–पत्र के चरण संख्या 2 व नक्शे में किया गया है से वादी को बिना विधिक प्रकिया अपनाये बेदखल नहीं करे।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा 91 की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया था। जिस कम में दिनांक 05.03.2024 को अपीलार्थी मय अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु समय चाहे जाने पर अपीलार्थी को न्यायहित में समय दिया जाकर आगामी दिनांक 28.03.2024 नियत की गई थी। दिनांक 28.03.2024 को अपीलार्थी द्वारा जबाब मय दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मा0 न्यायालय ग्राम न्यायालय के आदेश दिनांक 15.12.2016 के अनुसरण में विधिक प्रकिया अपनाते हुए ही उक्त आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। पेरोकार सरकार ने दौराने बहस यह भी तर्क दिया कि उक्त वाद आराजीयात की किस्म चरागाह है तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तो चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा,साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, उस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी मय अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु समय चाहे जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत हेतु समय भी प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिती में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
अति0 जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:42:59 IST
Reason: SelfAttested